

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

202
/ 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

28/3/22

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश दौ पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र धारा 151 जासा दीवानी हेतु प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौरान बहस उद्घरित तथ्यों के परिपेक्ष में आदेश जैर अपील दिनांक 09/03/2021 का अवलोकन किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेश दिनांक 09/03/2021 आगामी तारीख पेशी तक पारित अन्तरिम आदेश जिसके विरुद्द अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही किये जाने के स्थान पर इस अपील के माध्यम से उसे चुनौती दी गयी है चूँकी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित एकपक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जो आगामी तारीख पेशी तक जारी की गयी है, के विरुद्द प्रस्तुत हुई है | इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की कुल बैच द्वारा RRT 2014 (1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा संख्या 74 के प्रश्न संख्या 2 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम एकपक्षीय आदेश जो आगामी तारीख पेशी तक ही प्रभावित है, के विरुद्द धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं हो सकती अतः माननीय राजस्व मण्डल की कुल बैच द्वारा RRT 2014 (1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा संख्या 74 के प्रश्न संख्या 2 में दिये गये निर्देशों के अनुशरण में अपीलार्थी की यह अपील ही इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नहीं रहती है | अतः अपील अपीलार्थी संधारणीय नहीं होने से खारिज की जाती है | पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.04.2022 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे | अधीनस्थ न्यायालय आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुये विधिसम्मत आदेश पारित करे |

पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 28/3/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |


 राजस्व अपील प्राधिकारी
 जयपुर

